सेवा में,

माननीय मंत्री जी,
आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

विषयः—पति के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थिनी बिन्दू यादव, **सिविल जज, त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरूद्ध अपराध),** रामपुर में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार स्थानान्तरित वर्तमान में कार्यरत हूँ। प्रार्थिनी के पति डॉ0 अरुण कुमार यादव, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, रा0हो0चि0 शोभना बसेढ़ी कौशाम्बी में सन् 2015 से कार्यरत है। हमारी 02 पुत्रियाँ जिनकी आयु छः वष व 03 वर्ष है, महोदय हम अपनी पुत्रियों को भिन्न जनपद में सेवारत में होने के कारण बच्चों की परवरिश व प्राथमिक शिक्षा में समस्या उत्पन्न हो रही है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के नियमानुसार सरकारी सेवारत दम्पत्ति को एक स्थान पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। प्रार्थिनी द्वारा पूर्व में भी इस सम्बन्ध में आवेदन मुख्य सचिव एवं श्रीमान् निदेशक होम्योपैथी को दिया गया था, उसके उपरान्त भी विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण सूची में मेरे पति का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी 2023 की स्थानान्तरण के G.O. में यह नियम दर्शित था कि यदि पति—पत्नी राजकीय सेवा में है, तो उन्हें एक ही जनपद में कियां जायेगा, किन्तु विभाग द्वारा उक्त G.O. की अवहेलना करते हुए मेरे पति का स्थानान्तरण जनपद रामपुर में नहीं किया गया। अतः प्रार्थिनी के पति डॉ0 अरुण कुमार यादव का स्थानान्तरण राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, जिला अस्पताल, रामपुर में करने का कष्ट करें।

माननीय आपको अवगत कराना है कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, जिला अस्पताल, रामपुर में चिकित्साधिकारी का पद रिक्त है, सम्बन्धित विषय पर अविलम्ब आदेश देने की कृपा करें।

धन्यवाद!

प्रार्थिनी

Bindu Yadav

(बिन्दू यादव)
सिविल जज, त्वरित न्यायालय,
(महिलाओं के विरूद्ध अपराध), रामपुर।

दिनांक :— 01.07.2023